फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :–**श्रीमती उदीबाई** विपक्षी :–**श्री किशनलाल**

किस्म मुकदमा :– 212 रा.का.अधिनियम पत्रावली संख्या :– 19/22

जीसीएमएस नम्बर :–2022/57

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 02.06.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीयां उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि स्वयं प्रार्थीया द्वारा दिनांक 13.04.2026 को उपस्थित होकर पत्रावली तलबी मय विड्रो का प्रार्थना पत्र पेश किया। जो शामिल फाईल हैं। आज दिनांक को अधिवक्ता प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र वाद विड्रो पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र वाद विड्रो का पढ़कर सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। चूंकि स्वयं प्रार्थीया अब इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहती हैं तथा वाद को इसी स्तर पर विड्रो कर खारिज करवाना चाहती हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विड्रो का स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विड्रो फरमाया जाकर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(FT) मावली**	